तत्काल

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 10-25/2019/सत्रह/मेडि-02 भोपाल, दिनांक 08/01/2020

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

166

विषय:- प्रदेश के आदिवासी विकास खण्डों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" लागू करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपकी टीप क्रमांक- 998/विज्ञप्त/19, दिनांक 26.10.2019.

****

राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ विशेषज्ञ/चिकित्सक/संविदा चिकित्सकों को सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता, भवन निर्माण एवं पूल वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार "मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. "मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" 89 आदिवासी विकासखण्डों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से अतिपिछड़े विकासखण्डों (21) में रू. 40,000/- से 75,000/- तक बढ़े हुए अतिरिक्त भत्ते/मानदेय पर नियमित/संविदा चिकित्सकों को वेतन/संविदा मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिया जावेगा। इसी प्रकार पिछड़े विकासखण्ड़ों में (68) में रू. 30,000/- से 60,000/- तक बढ़े हुए अतिरिक्त भत्ते/मानदेय पर नियमित/संविदा चिकित्सकों वेतन/संविदा मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिया जावेगा। उक्त भत्ता जिला चिकित्सालय में कार्य करने वाले चिकित्सकों को देय नहीं होगा। उपरोक्त व्यय मांग संख्या- 19-2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-103-0102 आदिवासी क्षेत्र- 5507 मुख्य मंत्री सुषेण संजीवनी योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।
2. योजना अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य 89 विकासखण्डों में स्थापित स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेष भत्ते के अतिरिक्त चिकित्सकों को विकासखण्ड स्तर पर आवास एवं शासकीय आवास से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक पूल वाहन के माध्यम से परिवहन सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है। उक्त योजना के लागू होने से प्रदेश के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड अंतर्गत चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने में सफलता मिलेगी।

निरंतर पेज-2

3. आदिवासी विकासखण्डों में विशेषज्ञों हेतु वर्तमान में 61 आवास उपलब्ध है, 621 नवीन आवास का निर्माण किया जाना होगा। इसी प्रकार चिकित्सा अधिकारियों हेतु 153 आवास उपलब्ध है एवं 491 भवन का निर्माण किया जाना होगा। इस प्रकार विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों हेतु कुल 1112 भवन निर्माण किया जाना होगा। उक्त निर्माण में प्रतिवर्ष रू. 112.55 करोड़ के मान से आगामी तीन वर्ष का व्यय रू. 337.65 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त भवन निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शीर्ष 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- 104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- 0103, अनुसूचित जाति उपयोजन- 5056 सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण, 64 वृहद निर्माण कार्य, 002 उप वृहद निर्माण कार्य मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4. इसी प्रकार चिकित्सकों को विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध कराये जाने वाले शासकीय आवास से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक किराये के पूल वाहन के लिए व्यय रू. 2.67 करोड़ प्रतिवर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह "मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना" वित्त विभाग की टीप यू.ओ.क्रमांक-601/आर-753/बी-6/19, दिनांक 18.10.2019 द्वारा दी गई सहमति एवं मंत्रि-परिषद् के आदेश दिनांक 27 नवम्बर, 2019 अनुसरण में जारी की गई है।

अत: उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- आदिवासी जिलों एवं विकासखण्डों के नाम की सूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

8/1/2020

(बी.आर. सुनहरे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 10-25/2019/सत्रह/मेडि-02 भोपाल, दिनांक 08/01/2020

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

निरंतर पेज-3

संचालक (प्रशासन) 38-21/25
दिनांक 20/01/20

4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
8. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल। कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश भोपाल।
11. आयुक्त कोष, लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश भोपाल।
12. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
13. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
14. समस्त क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
16. सिविल सर्जन संचालक सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश।
17. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश।
18. मुख्य अभियंता संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19. आर्डर फाईल।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

AD(G)/MIS

—:प्रदेश के आदिवासी जिलों एवं विकास खण्डों के नामों की सूची:—

क.	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	अलिराजपुर	अलिराजपुर
		सोड़वा
		कट्‌टी वाड़ा
		जौवट
		उदयगढ़
		भावरा
2	अनूपपुर	अनूपपुर
		पुष्पराजगढ़
		जैथारी
		कोतमा
3	बड़वानी	बड़वानी
		पाटी
		राजपुर
		ठीकरी
		सेंधवा
		निवाली
		पानसेमल
4	बालाघाट	बैहर
		परसवाड़ा
		बिरसा
5	बैतूल	बैतूल
		चिचौली
		घोड़ाड़ौगरी
		शाहपुर
		भैसदेही
		आठनैर
		भीमपुरा

क.	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम
6	बुरहानपुर	खकनार
7	छिन्दवाडा	तामिया
		जामई
		बिछुआ
		हरई
8	धार	धार
		नालछा
		तिरला
		सरदारपुर
		मनावर
		बाकानैर (उमरधा)
		धरमपुरी
		गंधवानी
		कुक्षी
		निसरपुर
		बाघ
		ड़ही
9	डिण्डौरी	डिण्डौरी
		अमरपुर
		करंजिया
		समनापुर
		बजांग
		शाहपुरा
		मेहदवानी
10	होशंगावाद	केसला
11	झाबुआ	झाबुआ
		रामा
		रानापुर
		पेटलावद
		थांदला
		मेघनगर

क्र.	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम
12	खण्डवा	खालवा
13	खरगौन	खरगौन
		गोगांव
		भगवानपुरा
		सेगांव
		भिकनगांव
		झिरनिया
		महेश्वर
14	मण्डला	मण्ड़ला
		बिछीया
		नैनपुर
		निवास
		नाराणगंज
		विजाडंड़ी
		मोहगांव
		घुघरी
		मवई
15	रतलाम	सैलाना
		बाजना
16	सिवनी	कुरई
		लखनादौन
		कहानीखास (घंसौर)
		छपारा
		धनौरा
17	शहडौल	सौहागपुर
		पाली –2
		बुढार
		जयसिंह नगर
18	श्योपुर	करहाल
19	सीधी	कुसमी
20	उमरिया	गोहपारू
20	योग	**89**